21.5.18 उक्त प्रकरण में राजस्व लोक अदालत, राजस्व लोक अदालत आयोजित होने तक केस कोर्ट आवश्यक है पेश हुआ। अपीलार्थी सं. 1, नेत्रपाल वकील एवं आवेदिका भवानी प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलार्थी सं. 2, 3 ने भी पेश की। पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल किया जाय। पत्रावली में फैसला सुनाया जाकर बाद अवलोकन दफ्तर हो।

अपर जिला कलेक्टर